झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 141 / 1996

[1994 के सत्र विचारण सं 14 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 13 जून, 1996 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 14 जून, 1996 के सजा के आदेश के विरुद्ध]

दलेश्वर गोप, पिता- श्री ईश्वर गोप, निवासी ग्राम- केंदुआडीह, थाना -निमियाघाट, जिला गिरिडीह

... ... अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य **प्रतिवादी**

साथ में

आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या 163 / 2020

[22 जनवरी, 2020 के दोषसिद्धि के निर्णय और 24 जनवरी, 2020 के सजा के आदेश के खिलाफ, विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, गिरिडीह द्वारा 1994 के सत्र परीक्षण संख्या 14-ए में पारित]

जागेश्वर गोप, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बाबूलाल राम, निवासी / गांव-केंदुआडीह, थाना- निमियाघाट, डाकघर- केंदुआडीह, जिला- गिरिडीह/झारखंड।

... अपीलार्थी

बनाम

झारखंड राज्य **प्रतिवादी**

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री महेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

[सीआरए 141/1996 में]

श्री बी. एम. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री नूतन शर्मा, एडवोकेट

श्री नवीन कुमार जायसवाल, एडवोकेट

[2020 के सीआरए 163 में]

प्रतिवादी के लिए: श्री भोला नाथ ओझा, विशेष पी.पी.

.....

C.A.V. 12/02/2024 **घोषित दिनांक 05/03/2024**

प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, जे।

1. दोनों अपीलें सामान्य अभियोजन मामले से उत्पन्न होती हैं, जैसे, उन्हें समान सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि उन्हें एक साथ लिया जा रहा है।

प्रार्थना: आपराधिक अपील संख्या (डीबी) 141 / 1996

2. तत्काल अपील 13 जून, 1996 के दोषसिद्धि के निर्णय और 14 जून, 1996 के विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 14 में पारित सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जो डोमर गोप की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/341/302/452/149 के तहत दर्ज निमियाघाट थाना केस नंबर 106/1993 से उत्पन्न हुआ था । तदनुसार, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है।

प्रार्थना: आपराधिक अपील संख्या (डीबी) 163 / 2020

3. तत्काल अपील 22 जनवरी, 2020 के दोषसिद्धि के निर्णय और 24 जनवरी, 2020 के सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जो विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, गिरिडीह द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 14-ए 1994 में पारित किया गया था, जो डोमर गोप की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/341/302/452/149 के तहत दर्ज निमियाघाट थाना केस नंबर 106 से उत्पन्न हुआ था भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 2010 तदनुसार, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास के साथ-साथ 25,000 रुपये के जुर्माने और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास। धारा 148 आईपीसी के तहत अपराध के लिए तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। धारा 341 आईपीसी के तहत अपराध के लिए कठोर कारावास एक महीने के लिए। धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया। आईपीसी की धारा 452 के तहत अपराध के लिए सात साल के सश्रम कारावास और जुर्माने का भुगतान न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध के लिए दो साल के लिए सश्रम कारावास का निर्देश दिया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

<u>कॉमन प्रॉसिक्यूशन केस:</u>

4. निमियाघाट थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.10.1993 को लगभग 11:30 बजे दर्ज दुखी गोप के फर्दबीयन के अनुसार अभियोजन कहानी यह है कि उक्त तारीख की रात में डोमर गोप अपने दरवाजे पर अपनी चारपाई पीट रहा था, जिसके लिए अभियुक्त ने आपत्ति जताई क्योंकि ईश्वर गोप और मृतक डोमर गोप के बीच गर्म बातचीत हुई थी, जो उसका चचेरा भाई है और उसके घर के सामने रहता है। आगे कहा गया है कि उनके बीच कोई अच्छा संबंध नहीं है। आरोपी ईश्वर गोप ने डोमर गोप को गंदी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने घर गया और अपने बेटे दालो गोप और जागेश्वर गोप के साथ लाठी, डंडा और तलवार से मारपीट की और फिर से गंदी भाषा में गाली देने लगा। आरोपी व्यक्तियों लिलो गोप और जागेश्वर गोप ने डोमर गोप को पकड़ लिया और उसे एक लिलो साव के बरामदे में खींच लिया और उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वे मुखबिर के साथ मारपीट

करने के लिए भी दौड़े लेकिन वह उसके घर में घुस गया। मुखबिर की भाभी अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए वहां गई लेकिन मैनवा देवी, छुटू देवी, भूकरी देवी और पुछनी देवी ने भी उसके साथ मारपीट की। पथराव कर उसे भी घायल कर दिया। आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमले के कारण मृतक डोमर गोप बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून बह रहा था। मुखबिर ने आगे कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि डोमर गोप को किस हथियार से किसने हमला किया, लेकिन उसने सुना कि ईश्वर गोप ने अपने बेटे को डोमर गोप को जिंदा नहीं छोड़ने के लिए उकसाया।

5. घायल डोमर गोप और अंबिया देवी को निमियाघाट पुलिस स्टेशन लाया गया जहां रात 11:30 बजे बयान दर्ज किया गया, उसके बाद घायलों को उनके इलाज के लिए डुमरी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुखबिर ने आगे कहा कि डोमर गोप को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया था, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई थी।

6. उपरोक्त जानकारी के आधार पर, निमियाघाट थाना केस नंबर 106/1993 दिनांक 02.10.1993 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/323/325/337/324/341/307/452/302 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था और जांच का आरोप एस.आई., उदय प्रसाद सिंह को सौंप दिया गया था, जिन्होंने जांच के निष्कर्ष के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 110/1993 दिनांक 31.12.1993 प्रस्तुत किया। दलेश्वर गोप, झांको देवी, मैनवा देवी, चूटो देवी, फुचनी देवी, जिसमें चार्जशीट में जागेश्वर गोप फरार दिखा रहा है।

7. केस रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में तीन आरोपी व्यक्तियों ईश्वर गोप, दलेश्वर गोप और झांवा देवी के खिलाफ आरोप पत्र था और चार आरोपी व्यक्तियों जागेश्वर गोप, मैनवा देवी, चुटुवा देवी और फुचनी देवी को मूल आरोप-पत्र में फरार दिखाया गया था। उस दौरान आरोपी मैनवा देवी, चुटुवा देवी और फुचनी देवी बाद में मामले में पेश हुईं और मूल केस रिकॉर्ड यानी 1994 के एसटी नंबर 14 में मुकदमे का सामना किया।

8. जागेश्वर गोप के केस रिकॉर्ड को अलग किया गया था, जिसमें उन्हें 02.08.1994 के आदेश द्वारा मामले में भगोड़ा दिखाया गया था। आरोपी जागेश्वर गोप को बाद में

गिरफ्तार किया गया और विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I की अदालत द्वारा 06.03.2019 को रिमांड पर भेज दिया गया, इस पूरक मामले के रिकॉर्ड में 2020 का एसटी नंबर 14 ए होने के कारण मुकदमे का सामना करना पड़ा।

9. आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अपराधों का संज्ञान लिया और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और परीक्षण और निपटान के लिए सत्र न्यायाधीश की व्यक्तिगत फाइल में रखा।

10. आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिसे उन्हें पढ़ा गया और उन्हें 'हिंदी' में समझाया गया, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे के लिए दावा किया।

11. अभियोजन पक्ष ने 1996 की क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 141 में कुल 12 गवाहों की जांच की है, जबकि 2020 की क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 163 में 10 गवाहों की जांच की गई है। 1996 की क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 141 में एक बचाव पक्ष के गवाह की जांच की गई है जबकि 2020 की क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 163 में दो बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई है।

12. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों की सराहना करने पर, आरोप को सभी उचित संदेह से परे साबित पाया है और तदनुसार, दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है जो इन अपीलों में लगाया गया है।

<u>दोनों मामलों में अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क:</u>

13. श्री महेश कुमार सिन्हा, आपराधिक अपील (डी.बी.) में अपीलकर्ता के विद्वान वकील 1996 की संख्या 141 और श्री बीएम त्रिपाठी, आपराधिक अपील (डी.बी.) में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील 2020 की संख्या 163 ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने के सामान्य आधार को निम्नानुसार लिया है: -

I. कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे साबित होने वाले आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

II. अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 302 के तहत कथित मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि गवाहों के बयान के

अनुसार, हत्या करने के लिए दिमाग के पूर्व-विचार के संबंध में कोई सबूत नहीं है।

III. यह आधार लिया गया है कि यदि मुखबिर और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार किया जाएगा तो यह स्पष्ट होगा कि लड़ाई अचानक जुनून की गर्मी के कारण हुई थी और उसके दौरान मृतक को चोटें आई हैं, जिसके कारण उसने बाद में दम तोड़ दिया।

IV. यह गवाही में आया है कि मृतक-डोमर गोप द्वारा अपीलकर्ताओं के दरवाजे पर खाट पीटने के मुद्दे पर, अभियुक्त-ईश्वर गोप ने डोमर गोप को गंदी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और इस दौरान हाथापाई हुई जो अंततः दोनों पक्षों के बीच झगड़े में परिणत हुई। उक्त झगड़े में दोनों पक्षों की महिला सदस्य भी शामिल थीं। उनकी गवाही में आया है कि अपीलकर्ताओं ने अपने बेटों के साथ मिलकर लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी है। अतः यह निवेदन किया गया है कि यदि मन का पूर्व-ध्यान होता तो अपीलार्थी धारदार घातक हथियार का प्रयोग करते और यदि ऐसी परिस्थितियों में हमला किया जाता तो यह समझा जा सकता था कि मन का पूर्व-ध्यान है। लेकिन यहां यह तथ्यात्मक पहलू नहीं है।

V. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने चार आरोपी व्यक्तियों, जो अपीलकर्ताओं के परिवार की महिला सदस्य हैं, को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है। उक्त चार महिला आरोपियों को उक्त चार महिला आरोपियों को धारा 323 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है, यह ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त आरोपी महिलाएं अंबिया देवी (मृतक की पत्नी) को चोट पहुंचाने में शामिल पाई गई थीं, इसलिए ऐसे परिदृश्य में सामान्य इरादे का कोई घटक नहीं है ताकि धारा 34 आईपीसी के साथ हत्या के दंडनीय अपराध को आकर्षित किया जा सके।

VI. जहां तक 2020 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 163 का संबंध है, आधार लिया गया है, जिसमें दोषसिद्धि सामान्य उद्देश्य के साथ हत्या करने के लिए कमीशन की धारा 149 आईपीसी पर आधारित है, जबकि

1996 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 141 में अपीलकर्ता को सामान्य इरादे से हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 34 के घटक पर आधारित है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यदि घटना एक ही लेनदेन की है, तो एक मामले में धारा 34 आईपीसी की सहायता से धारा 302 आईपीसी के तहत सजा का निर्णय पारित किया गया है। जबकि 2020 की क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 163 के अपीलकर्ता ने धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 149 की सहायता लेने पर आधारित है। इसलिए, यह प्रश्न उठाया गया है कि एक मामले में उसी घटना में धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय धारा 149 आईपीसी की सहायता से पारित किया गया है, जिसमें दूसरे मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय धारा 34 आईपीसी की सहायता से पारित किया गया है, जिसे उचित कारण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि धारा 149 आईपीसी का दायरा धारा 34 से बिल्कुल अलग है ।

VII. धारा 149 IPC सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करती है जबकि धारा 34 IPC सामान्य इरादे के बारे में बोलती है।

VIII. यह आधार लिया गया है कि एक बार सह-अभियुक्तों, अर्थात् झांको देवी, मैनवा देवी, चूटो देवी और फुचनी देवी को परिवार की महिला सदस्यों को बरी कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि धारा 149 के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए सामान्य उद्देश्य का आरोप गैरकानूनी सभा के आरोप को साबित करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित गैरकानूनी सभा के अर्थ के कारण लागू नहीं होगा, गैरकानूनी विधानसभा में विधानसभा के कम से कम 5 सदस्य बताए जाते हैं।

IX. ट्रायल कोर्ट भी इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था क्योंकि गवाहों की गवाही में यह आया है कि मृतक ने अपीलकर्ताओं की भूमि पर अतिक्रमण किया है और इसलिए उनके बीच पिछले 10-20 वर्षों से कोई बात नहीं हुई थी।

X. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि विवादित फैसला अवैधानिक है, इसलिए कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है।

XI. वैकल्पिक रूप से, उपरोक्त आधार पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण को भी सही माना जाएगा तो यह धारा 302 आईपीसी का मामला नहीं है, बल्कि यह धारा 304 भाग II के दायरे में आएगा क्योंकि तथ्यात्मक पहलू अपवाद खंड के तहत आ रहा है।

<u>राज्य की ओर से तर्क:</u>

14. जबकि दूसरी ओर, श्री भोला नाथ ओझा, विद्वान एपीपी ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णयों का बचाव करते हुए अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए आधारों के जवाब में निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है:

I. दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि गैर इरादतन मानव वध है और स्वीकार्य रूप से सभी गवाहों ने अपीलकर्ताओं द्वारा हमले के बारे में गवाही दी है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मृतक की मृत्यु हो गई।

II. जहां तक यह मन के पूर्व-ध्यान की अनुपलब्धता से संबंधित तर्क का संबंध है, विद्वान राज्य के वकील की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यात्मक पहलू से मन के पूर्व-ध्यान का आकलन किया जाना है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के हमले के कारण का गवाहों द्वारा समर्थन किया गया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मन का कोई पूर्वचिंतन नहीं। इसके अलावा, गवाहों की गवाही में यह सामने आया है कि अपीलकर्ताओं ने थोड़ी देर के लिए हाथापाई करने के बाद अपने बेटे को बुलाया था और जब वे घटना स्थल पर आए तो उन सभी ने मृतक के साथ मारपीट शुरू कर दी।

III. इसलिए, बेटे को घर से बुलाना और मृतक पर हमला करने के उद्देश्य से फिर से इकट्ठा होना धारा 302 आईपीसी के तहत दंडात्मक

अपराध को आकर्षित करने के लिए बहुत स्पष्ट सबूत है क्योंकि आचरण स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ताओं का मृतक को मारने का इरादा था।

IV. पूर्वोक्त आधार पर राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए तत्काल अपील खारिज करने के लिए उपयुक्त हैं।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ आक्षेपित निर्णयों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्षों का भी अवलोकन किया है।

16. हमने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध गवाहों की गवाही के साथ-साथ प्रदर्शनों का भी अध्ययन किया है।

17. यह न्यायालय, पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्क के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय की वैधता और औचित्य की सराहना करने से पहले, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है।

<u>गवाहों की गवाही आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 141 / 96 में:</u>

18. **पी. डब्ल्यू.1, महादेव यादव** ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह अपने दरवाजे पर था और डामर गोप खटमलों से मुक्त करने के लिए छत पर अपनी खाट को पीट रहा था। तब ईश्वर गोप ने इस पर आपत्ति जताई, जिस पर डामर गोप छत से उतरकर दरवाजा खटखटाने लगा और गाली-गलौज भी करने लगा।

19. चूंकि उसका बयान पुलिस के सामने दिए गए उसके पहले के बयान से काफी अलग था, इसलिए उसे मुकर घोषित कर दिया गया।

20. **पी. डब्ल्यू.2, बिहारी साव** ने गवाही दी है कि घटना की कथित तारीख को रात लगभग 10 बजे वह बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने लिलो साव के घर की ओर हल्ला सुना और वह वहां गया। उन्होंने देखा कि ईश्वर गोप और जागेश्वर गोप डामर गोप पर लाठी से हमला कर रहे थे। डामर गोप की पत्नी ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया लेकिन झंवा, मैनवा, फुचनी और छतुस देवी ने उसके साथ मारपीट की। डामर गोप के सिर पर चोट लगी और वह नीचे गिर गया। उन्होंने आगे

गवाही दी है कि उन्होंने अपनी गमछी [तौलिया] के साथ डामर गोप के सिर पर पट्टी बांधी। इसके बाद, वह और अन्य लोग डामर गोप को खाट पर थाना [पुलिस स्टेशन] ले गए। वहां से प्रभारी अधिकारी ने उन्हें डुमरी अस्पताल भेज दिया।

21. इस गवाह ने अपनी जिरह के पैराग्राफ 6 में कहा है कि उसके खेत में बिजली की रोशनी नहीं है। चूंकि यह गवाह पड़ोसी है और पक्षकार उसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए पर्याप्त रोशनी न होने पर भी उसके लिए घायल व्यक्तियों और आरोपी व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल नहीं था। उन्होंने पैराग्राफ 8 में कहा है कि हल्ला पर अपने घर से बाहर आने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जब वह लिलो साव के दरवाजे पर गए तो डेमर गोप जमीन पर गिर गए थे और उनके सिर में चोट लगी थी।

22. **पी. डब्ल्यू.3, भीखनी देवी** ने कहा है कि रात लगभग 10 बजे वह बिस्तर पर जाने वाली थी और लिलो साव के घर की ओर हल्ला सुना और वह वहां गई। उसने ईश्वर गोप, जागेश्वर गोप, डालो गोप को डामर कोप पर हमला करते हुए पाया। डामर गोप की पत्नी उसे बचाने के लिए गई लेकिन मैनवे, झांवा, छथू और फुचनी देवी ने उसके साथ मारपीट की।

23. जिरह में उसने कहा कि उसके घर और लिलो साव के घर में गोपाल के केवल एक घर द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। उसने जिरह में यह भी कहा है कि डामर छत पर अपनी चारपाई पीट रहा था। इस गवाह का यह भी कहना है कि डामर गोप की पत्नी अंबिया देवी के सिर पर भी खून बहने की चोट आई थी। इस गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि वह अंबिया देवी की गोटनी(भाई कि पत्नी) है।

24. **पी. डब्ल्यू.4,** गोपाल साव ने गवाही दी है कि लगभग 10 बजे जब वह भोजन करने के बाद लिलो साव के दरवाजे पर बैठा था, डामर गोप अपने दरवाजे पर अपनी चारपाई पीट रहा था और तभी ईश्वर गोप ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तब ईश्वर गोप अपने घर गया और लाठियों से लैस अपने दो पुत्रों, अर्थात् डालो और जागेश्वर के साथ वापस आया। तीनों ने डामर गोप को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए लिलो साव के दरवाजे तक ले गए और तीनों आरोपियों ने उस पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। डामर गोप की

पत्नी अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी लेकिन चार महिला आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे गवाही दी कि आरोपी व्यक्तियों ने डामर गोप के गिरने के बाद भी उसके साथ मारपीट जारी रखी। जिरह में, इस गवाह ने गवाही दी है कि डामर गोप पर चार या पांच मिनट तक हमला किया गया था और उसे 15-20 लाठी वार दिए गए होंगे। उसके सिर सहित पूरे शरीर पर हमला किया गया था।

25. **पी. डब्ल्यू.5, किशुन गोप** भी डामर कोप द्वारा उठाए जा रहे हल्ला पर गली [सड़क] पर गए। उन्होंने भी इस घटना का समर्थन किया है। वह डामर गोप के चचेरे भाई हैं।

26. **पी. डब्ल्यू.6, अंबिया देवी,** मृतक डामर गोप की पत्नी है। उसने अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में कहा है कि रात करीब 10 बजे उसका पति डामर कोप उसके दरवाजे पर चारपाई पीट रहा था, जिस पर ईश्वर गोप ने गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने दो बेटों डालो गोप और जागेश्वर गोप के साथ वापस आया, सभी लाठियों से लैस थे। वे उसे लिलो साव के दरवाजे तक खींच कर लाठी से पीटने लगे और जब वह अपने पति को बचाने गई तो फुचनी, मैनवा, थुनवा और छठू देवी ने भी उसके साथ मारपीट की। वह और अन्य लोग अपने पति को निमियाघाट थाना ले गए, जहां से उन्हें डुमरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें धनबाद अस्पताल ले जाने के लिए कहा।

27. उसने जिरह में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के साथ एक घरबानी के संबंध में भूमि विवाद था लेकिन पहले पक्षों के बीच कोई झगड़ा या कोई मामला नहीं था। पैराग्राफ 4 में इस गवाह ने कहा है कि जब आरोपी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आए तो महिला आरोपी ने लिलो साव के दरवाजे पर उसे पकड़ लिया।

28. **पी. डब्ल्यू.8, डॉ. डी. पी. सिंह** ने घायल अंबिया देवी के बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 3"x 1/2"x1/2" मापने वाला घाव पाया। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह की चोट कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हो सकती है। इसलिए इस साक्षी अंबिया देवी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

29. **पी. डब्ल्यू.7, दुखी गोप** मुखबिर है। उन्होंने गवाही दी है कि घटना की कथित तारीख को लगभग 10 बजे वह अपने घर में मौजूद थे। डामर गोप अपने दरवाजे पर अपनी खाट पीट रहा था जब ईश्वर गोप आया और उसे गाली दी। दोनों तरफ से गर्मागर्म बातें हुईं। इसके बाद ईश्वर गोप अपने घर गया और वह अपने दो बेटों के साथ वापस आया। तीनों के हाथ में लाठी थी, उन्होंने डामर गोप को लिलो साव के दरवाजे तक खींच लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जब डेमर गोप की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए आई, तो चार महिला आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। वह और अन्य लोग डामर गोप को निमियाघाट थाने ले गए। उन्होंने यह कहानी दरोगा जी [पुलिस उप-निरीक्षक] को सुनाई, जिन्होंने उनका बयान रिकॉर्ड किया और उन्हें पढ़कर सुनाया। इसके बाद उन्होंने अपना एलटीआई(बाये अंगूठा का निशान) डाल दिया। दोनों घायलों को डुमरी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें घायल को धनबाद ले जाने की सलाह दी जहां डामर गोप की मौत हो गई।

30. जिरह में उसने कहा है कि जब डामर गोप खाट पीट रहा था तब वह अपना भोजन ले रहा था। वह हल्ला सुनकर अपने घर से निकला। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि ईश्वर, दालो और जागेश्वर गोप लिलो साव के दरवाजे के पास डामर गोप के साथ मारपीट कर रहे थे। वह अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ा लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया और उसके दरवाजे पर वापस आ गए। पैराग्राफ 5 में उनका ध्यान एफआईआर में दिए गए अपने बयान की ओर दिलाया गया था। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि आरोपी व्यक्ति लाठी, डंडा और तलवार लेकर आए थे। उन्होंने एफआईआर में यह भी कहा है कि वह यह नहीं देख सके कि किस आरोपी ने डामर गोप पर किन हथियारों से हमला किया। लेकिन उसने ईश्वर गोप को अपने बेटों को उसे खत्म करने के लिए उकसाते हुए सुना। इस गवाह ने कहा है कि जब वह अपने भाई को बचाने गया तो आरोपी व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और वह उसके घर गया।

31. **पी. डब्ल्यू.10, गौरी देवी** ने उसी तर्ज पर गवाही दी है जैसा कि घटना के बिंदु पर अभियोजन पक्ष के संस्करण में कहा गया है।

32. **पी. डब्ल्यू.11 चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिनोद कुमार** ने डामर गोप के शव का पोस्टमार्टम किया हैं। उन्होंने चोटों को सात रूप में पाया।

(i) सिर और चेहरे का दाहिना भाग सूज जाना और चोट लगना दाहिनी आंख की दोनों पलकों में भी चोट लग गई है।

(ii) दाहिनी ओर के माथे के बालों वाले हिस्से पर 1/2" लंबा सिला हुआ घाव, दाहिनी आंख भौंह से 3" ऊपर।

(iii) घाव 1/2x4 चोट सं के लिए औसत दर्जे का स्थित घाव 1/2x4। (द्वितीय)

(iv) बाएं कंधे के शीर्ष पर घर्षण 1 "x 3/4"।

(v) दाहिनी कोहनी के पीछे 1/2" x 1/2॥ के क्षेत्र में देखी गई संख्या 1/4" x 1/8॥, 1/2" x 1/4 और 1/5 "में घर्षण तीन।

(vi) दाहिनी कोहनी के भीतरी तरफ एक स्टिच के साथ घर्षण 1 "x 1/4" x।

(vii) निचले तीसरे बाहरी और पीछे की दाहिनी जांघ पर घर्षण 2x1/2 x 1x1/2। खोपड़ी को हटाने पर 4॥x3॥ क्षेत्र में खोपड़ी के दाईं ओर ललाट पार्श्विका हड्डियों के नीचे बड़े पैमाने पर हेमेटोमा देखा गया और चोट का उल्लेख नहीं किया गया। (ii) मल्टीपल फ्रैक्चर दिखाया गया है। मस्तिष्क को ढंकना भी खराब पाया गया। डॉक्टर ने इस बात से इनकार किया कि सिर पर पाई गई चोटें ऊंचाई से ईंट की चोट से अधिक संभावित थीं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सिर की चोटें ईंट-पत्थर से संभव हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि चोटें लाठी जैसे कठोर और कुंद पदार्थों के कारण हो सकती हैं।

<u>गवाहों की गवाही आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 163 / 2020:</u>

33. **मुखबिर पी. डब्ल्यू. -8, दुखी गोप**, जो मृतक के पिता हैं, ने परीक्षा-इन-चीफ में कहा है कि घटना रात लगभग 10:00 बजे हुई जब वह अपने घर में मौजूद थे। **उन्होंने आगे कहा है कि जब डोमर गोप अपने बरामदे में अपनी खाट पीट रहा था तो आरोपी ईश्वर गोप ने उसे गाली देना शुरू कर दिया।** उन्होंने आगे कहा है कि डोमर गोप और ईश्वर गोप के बीच गर्म बातचीत का आदान-प्रदान हुआ है। इसके बाद, ईश्वर गोप अपने घर गया और अपने दोनों बेटों के साथ लाठी और तलवार से लैस होकर वापस आया। आरोपी ईश्वर गोप और उसके बेटे लिलो साव ने डोमर गोप को पकड़ लिया

और खुले आंगन में घसीटते हुए लाठी से मारपीट शुरू कर दी। उसकी पत्नी अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए गई लेकिन महिला आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की। डोमर गोप को गंभीर चोटें आईं और वह जमीन पर गिर गया। उसने निमियाघाट थाना पुलिस को सूचना दी और उसके बाद अंगूठे का निशान लगाकर पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने लिखित रिपोर्ट पर अपने अंगूठे के निशान की पहचान की है। घायल को डुमरी अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टर ने घायल धनबाद को रेफर कर दिया जहां डोमर गोप की मौत हो गई।

34. अपनी जिरह में उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि आरोपी ईश्वर गोप, जागेश्वर गोप ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ लिलो साव के दरवाजे के पास डोमर गोप पर बेरहमी से हमला किया। उन्होंने आगे कहा है कि लिलो साव का दरवाजा मृतक के दरवाजे से केवल 4-5 फीट की दूरी पर है। उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी लाठी, डंडा और तलवार से मारा गया और मृतक के सिर पर वार किया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। ईश्वर गोप ने अपने बेटे को मृतक को मारने के लिए उकसाया। डोमर गोप को बचाने के लिए मौके पर जाने पर उन्हें चोटें भी आई हैं।

35. **पी. डब्ल्यू.7 अंबिया देवी** घटना के चश्मदीद गवाह मृतक डोमर गोप की पत्नी हैं। उसने कहा है कि घटना के समय जब उसका पति अपने दरवाजे पर चारपाई की सफाई कर रहा था, वह मौजूद थी और उस समय ईश्वर गोप ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा है कि दालो गोप, जागेश्वर गोप लाठी से मारा गया और उसके पति को लिलो साव के दरवाजे तक खींच लिया और लाठी से हमला करना शुरू कर दिया फिर वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी लेकिन आरोपी व्यक्तियों फुचनी देवी, मनवा, झुनवा और छोटू देवी ने उसके साथ मारपीट की। उसके पति के शरीर पर गंभीर जख्म आ गए। आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसके शरीर पर चोट भी आई है। वह और अन्य अपने पति को निमियाघाट थाना ले गए जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया जहां उनके पति की मृत्यु हो गई। पैराग्राफ 15 में अपनी जिरह में उसने आरोपी ईश्वर गोप, जागेश्वर गोप और बाकी महिला आरोपी व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया है। उसने आगे कहा है कि आरोपी याचिकाकर्ता ने उसके पति को पकड़ लिया और लाठी से बेरहमी

से हमला किया, जिससे उसके माथे पर गंभीर चोट आई और धनबाद में उसकी मौत हो गई।

36. **पी. डब्ल्यू.3-गोपल साव, पी. डब्ल्यू..5-किशुन गोप और पी. डब्ल्यू..6- भिखनी देवे** इस मामले के स्वतंत्र चश्मदीद गवाह हैं और घटना स्थल पर मौजूद थे और पूरी घटना को देखा जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से किया गया था। इन गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले और घटना में आरोपी याचिकाकर्ता की भागीदारी का समर्थन किया है।

37. **पी. डब्ल्यू.-3 गोपाल साव** ने परीक्षा में बताया कि रात्रि 10:00 बजे वह भोजन करने के बाद लिलो साव के द्वार पर बैठे थे। आरोपी ईश्वर साव ने अपनी खाट पीट रहे डोमर गोप को गाली देना शुरू कर दिया और दोनों पक्षों के बीच गर्म बातचीत हुई। उन्होंने आगे गवाही दी है कि आरोपी व्यक्तियों को लाठी से पीटा गया, डंडा ने डोमर गोप को घसीटा और लाठी से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके कारण डोमर गोप के माथे पर चोट लगी। मौके पर पहुंचे आरोपी दालो साव, जागेश्वर गोप पर लाठी-डंडे से हमला किया गया और मुखबिर के साथ मारपीट भी की जिससे जागेश्वर गोप के माथे पर चोट लगी। उन्होंने आगे गवाही दी है कि इन आरोपी याचिकाकर्ताओं ने मृतक को जान से मारने की धमकी भी दी है। अंबिया देवी और डोमर गोप ने बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ महिला आरोपियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पैराग्राफ 8 में जिरह में उन्होंने गवाही दी है कि आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इन गवाहों ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों ईश्वर, लिलो और जागेश्वर ने मृतक को 15-20 लाठी के वार किए हैं, जिसके कारण उसके सिर में चोट लगी और बाद में उसकी मौत हो गई।

38. **पी. डब्ल्यू.-5 किशुन गोप** ने अभियोजन की पूरी कहानी की पुष्टि की। उन्होंने पैराग्राफ 3 में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने डोमर गोप पर लाठी और डंडा से हमला किया, जिसके कारण उनके माथे पर गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। पैराग्राफ 12 और 13 में जिरह में उन्होंने खुलासा किया कि अंबिया देवी को भी चोट लगी थी जब वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी थी।

39. **पी. डब्ल्यू.-6 इस प्रकरण का चश्मदीद गवाह भिखारी दास** घटना स्थल पर उपस्थित था जहां उसने हल्ला सुना और जब उसके घर से बाहर आया तो देखा कि ईश्वर गोप, जागेश्वर गोप, डालो गोप डोमर गोप पर लाठी से हमला कर रहे थे। पैराग्राफ 1 में उन्होंने कहा है कि जब अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी तो महिला आरोपी मैनवा, झांवा, चट्टू और फुचनी ने उसके साथ मारपीट की। पैराग्राफ 12, 13 और 18 में जिरह में यह कहा गया है कि उसने देखा कि मृतक डोमर गोप जमीन पर गिर गया था और उसके माथे से खून बह रहा था।

40. **पी. डब्ल्यू.-1 बिहारी साव** को अभियोजन पक्ष द्वारा मुकर घोषित किया गया है।

41. **पी. डब्ल्यू. -2 डॉ विनोद कुमार** ने गवाही दी है कि 03.10.1993 को उन्हें पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन दोपहर 12:45 बजे उन्होंने मृतक डोमर यादव का पोस्टमार्टम किया और कहा कि:-

I. मृतक का रंग गेंहुआ था उसकी बाईं ओर गर्दन के ऊपरी हिस्से पर एक तिल था। मृतक पूरे शरीर में मौजूद था। पी.एम. नशे की वजह से बेहोशी छाने लगी।

II. मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित एंटीमॉर्टम चोटें देखी गईं।

III. हाथ का दाहिना भाग और चेहरा सूजा हुआ और चोट लगना (दोनों आंखों के दाईं ओर के ढक्कन भी चोट के निशान)।

IV. दाहिनी ओर के माथे के हरिंग भाग पर 3 टांके के साथ 1 1/2 "लंबा सिला हुआ घाव, दाहिनी भौं से 3" ऊपर। टांके हटाने पर हाशिये पर चोट दिखी।

V. लेसरेटेड घाव 1/2 "x 1/4" स्थित 1/2 "औसत दर्जे का चोट नंबर II।

VI. बाएं कंधे के शीर्ष पर घर्षण 1 "x 3/4"।

VII. संख्या 1/4" x 1/8" x 1/2" x 1/4" और 1/5" व्यास में घर्षण 3 और दाहिनी कोहनी के पीछे 1 1/2" x 1/2" का क्षेत्रफल देखा गया।

VIII. दाहिनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में सिलाई के साथ घर्षण 1 "x 1/4"। ==VII. घर्षण 2 1/2 "x 1 1/2" बाहरी के निचले 1/3 और दाहिनी जांघ के पीछे। सभी घर्षण रंगीन पढ़े जाते हैं। विच्छेदन पर

मुझे निम्नलिखित मिला: - दिल के बाईं ओर कक्ष खाली थे। दाहिनी ओर के कक्षों में थोड़ा खून था। आंतरिक अंग सामान्य दिखने वाले होते हैं। पेट में लगभग 50 सी.सी. मूत्राशय खाली। खोपड़ी को हटाने पर, खोपड़ी के नीचे बड़े पैमाने पर हेमेटोमा देखा जाता है। चोट संख्या II के तहत 4 "x3" क्षेत्र में दाईं ओर ललाट पार्श्विका हड्डियां। कई फ्रैक्चर दिखाए। रैखिक फ्रैक्चर लाइनें पूर्वकाल में सही पूर्वकाल कपाल फोसा और कक्षीय प्लेट में फैली हुई हैं और बाद में सही लौकिक हड्डी तक फैली हुई हैं। एक्सट्राड्यूरल हेमेटोमा 6 "x4 1/2" क्षेत्र में चोट नंबर II के तहत देखा गया। टूटी हुई कपाल की हड्डियों से अर्थ खराब पाए गए। मेनिन्जेस और मस्तिष्क भीड़भाड़ वाले थे। पोस्टमार्टम के समय 6 से 12 घंटे पहले मौत होने से समय बीत गया।

3. राय- मेरी राय में कठोर और कुंद वस्तु के कारण उपरोक्त इंट्रा क्रैनियल रक्तस्राव के परिणामस्वरूप मृत्यु कोमा में थी।

4. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार और लिखी गई है और इसमें एक्सटेंशन-1 के रूप में मेरे हस्ताक्षर का निशान है।

जिरह के दौरान उसने कहा है कि उसने पोस्टमार्टम में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं लिए जो शव के साथ था। पूरे शरीर में रिगमोर्टिस होता है।

पैरा 12, 13, 14 में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि उपर्युक्त सभी चोटें मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने आगे कहा है कि दर्द का जोखिम उठाकर कठोर प्रहार पर गिरने से संलयन और घर्षण और पंगु होना भी संभव है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इस मामले में गलत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जमा की है।

42. **पी. डब्ल्यू.10 डॉ. देवेन्द्र प्रसाद** ने गवाही दी है कि दिनांक 03.10.1993 को प्रातः 1:10 बजे वह चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी, डुमरी, गिरिडीह में तैनात थे, जिन्होंने

घायल अंबिया देवी, पत्नी डोमर यादव, निवासी गांव- केंदुवाडीह, पीएस निमियाघाट, जिला- गिरिडीह की जांच की और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

1. बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 3 "x 1/2" x 1/2 "पंगु बनाना।

2. राय के साथ प्रकृति - पहचान का निशान- बाहरी कैन के पास दाईं ओर गाल पर एकल तिल इस प्रकार हो सकता है। चोट की उम्र-12 घंटे के भीतर। चोट की प्रकृति चोट के ऊपर कठोर और कुंद पदार्थ के कारण प्रकृति में सरल है। यह चोट रिपोर्ट मैंने अपनी हस्तलिपि और हस्ताक्षर से तैयार की है, जो मार्क और एक्सटेंशन-6 है।

पैराग्राफ 7 में जिरह के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा मरीज की जांच की गई थी, लेकिन आज अदालत में उपस्थित नहीं था और चोट की रिपोर्ट में पहचान का उल्लेख किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि चोट का रंग महत्वपूर्ण कारक है लेकिन चोट की रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि उपरोक्त चोट दर्द का जोखिम उठाकर कठोर फर्श पर गिरने से संभव होगी।

इसलिए डॉक्टर के साक्ष्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर ने कोमा के कारण मौत का कारण बताया क्योंकि यह कठोर और कुंद वस्तु के कारण होने वाला कपाल रक्तस्राव भी मुखबिर के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए गवाहों के अनुरूप है।

43. **पी. डब्ल्यू. -4 राम लाल राम** इस मामले के जांच अधिकारी हैं जिन्होंने पूरी जांच की और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा है कि दिनांक 02-10-1993 को उन्हें निमनीघाट पुलिस स्टेशन के एएसआई के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने प्रभारी अधिकारी, निमियाघाट पीएस स्वामीनाथन के निर्देश पर मामले का प्रभार संभाला था। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान वह घटना स्थल पर गए और मुखबिर दुखी गोप के बयान के साथ-साथ गवाहों के बयान भी दर्ज किए। उन्होंने कहा है कि घटना स्थल लालो साव के खुले क्षेत्र के बरामदे में केन्दुआडीह गांव में स्थित है। आरोपियों ने घातक हथियारों से लदे मृतक और अंबिया देवी पर हमला किया। पैराग्राफ 3 में उन्होंने घटना के स्थान के विवरण का खुलासा किया है।

जांच के बाद उन्होंने मामले को सही पाया है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने एफआईआर पर एंडोर्समेंट की पहचान की है जिसे एक्सटेंशन-2 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की पहचान की है जिसमें डी पासवान के हस्ताक्षर हैं, जिसे एक्सटेंशन-2/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। पैराग्राफ 6 में उन्होंने कहा है कि जागेश्वर गोप को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसके बाद उन्हें चार्जशीट में भगोड़ा घोषित किया गया था।

44. पैराग्राफ 9 और 10 में जिरह में उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान धनबाद से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और आरोपी के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

45. **पी. डब्ल्यू. -9 दीपक कुमार** इस मामले के औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने केवल मुखबिर की परीक्षा के संबंध में अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर हस्ताक्षर की पहचान की है जो विजय कुमार केरकेट्टा के लिखित और हस्ताक्षर में है।

46. इस मामले में, बचाव पक्ष ने **डीडब्ल्यू 1 लखी गोप और डी.डब्ल्यू 2 मित्तल साव** के रूप में गवाहों की भी जांच की है, जिन्होंने गवाही दी है कि उक्त तारीख को कोई घटना नहीं हुई थी। दोनों गवाहों ने आगे कहा कि डोमर गोप अपने ससुराल में रह रहा था और कभी अपने गांव नहीं आया। भूमि विवाद के कारण मुखबिर द्वारा आरोपी व्यक्तियों को झूठा फंसाया गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने माना कि डोमर गोप की मौत धनबाद में चोटों के कारण हुई थी।

47. अभियोजन पक्ष की जिरह के पैराग्राफ 12 में गवाही दी कि घटना रात में हुई थी, लेकिन वे पार्टियों के बीच समझौते के लिए बाहर नहीं आए

48. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ऊपर उल्लिखित चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 302/149 के तहत दोषी ठहराते हुए दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है और आजीवन आरआई से गुजरने का निर्देश दिया है।

49. यह न्यायालय, अपीलकर्ताओं की दोषीता के संबंध में सभी अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, धारा 302 के तहत या धारा 304 भाग- I या भाग- II के तहत अपराध के कमीशन के लिए भारतीय दंड संहिता की तुलना

में पक्षकारों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की तुलना में, धारा 302 या भाग-I अथवा भाग-II।

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरिंदर कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़**(1989) 2 एससीसी 217 के मामले में पूर्वोक्त स्थिति से निपटा है जिसमें पैराग्राफ 6 और 7 प्रासंगिक हैं जिन्हें इसके तहत संदर्भित किया जा रहा है: -

> "***6.*** *धारा 300 का अपवाद 4 निम्नानुसार पढ़ता है:*
>
> *"अपवाद 4.-**गैर मानव वध हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व विचार के बिना किया जाता है और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है।***
>
> *स्पष्टीकरण--ऐसे मामलों में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सा पक्ष उकसाया जाता है या पहला हमला करता है।*
>
> ***7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) यह अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्व विचार नहीं था; (iii) अधिनियम जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।***
>
> *झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाने की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई रही होगी और अपराधी ने गुस्से में काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। **जहां, अचानक झगड़े पर, पल की गर्मी में एक व्यक्ति एक हथियार उठाता है जो आसान है और चोटों का कारण बनता है, जिनमें से एक घातक साबित होता है,** वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम नहीं किया हो। वर्तमान मामले में, मृतक और पी. डब्ल्यू. 2 सिकंदर लाल और उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे वाले कमरे में घुस गए थे और रसोई को खाली करने की*

मांग की थी। जब उन्होंने पाया कि अपीलकर्ता रसोई का कब्जा सौंपने के लिए अनिच्छुक था, तो पी. डब्ल्यू. 2 ने अपीलकर्ता की बहन की उपस्थिति में झगड़ा किया और गंदी गालियां दीं। अपीलकर्ता द्वारा उसे बाज आने के लिए कहने पर उसने बर्तन आदि हटाकर रसोई को बंद करने की धमकी दी, और इसके कारण एक तरफ अपीलकर्ता और दूसरी तरफ पीडब्ल्यू 2 और उसके मृत भाई के बीच गरमागरम बहस हुई। इस गरमागरम बहस के दौरान अपीलकर्ता का मामला है कि पी. डब्ल्यू. 2 ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला। अपीलकर्ता के मामले का यह हिस्सा पीडब्ल्यू 2 के पूर्ववृत्त के संबंध में संभावित प्रतीत होता है। यह रिकॉर्ड पर है कि पीडब्ल्यू 2 को नारनौल में आईपीसी की धारा 411 के तहत दो मौकों पर दोषी ठहराया गया था और स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसका नाम एक बुरे चरित्र के रूप में दर्ज किया गया था। संभवतः इसी कारण से वह कुछ साल पहले नारनौल से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था और पीडब्ल्यू 4 द्वारा किराए पर लिए गए परिसर में रहने लगा था। जब अपीलकर्ता ने पाया कि पी. डब्ल्यू. 2 ने अपनी जेब से एक पेन चाकू निकाला है, तो वह बगल की रसोई में गया और चाकू लेकर लौटा। PW 2 को लगी साधारण चोट से ऐसा प्रतीत होता है कि PW 2 एक आसान लक्ष्य नहीं था। यही कारण है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को खारिज कर दिया कि अमृत लाल ने अपीलकर्ता द्वारा उस पर हमले की सुविधा के लिए पी. डब्ल्यू. 2 को पकड़ लिया था। आगे ऐसा लगता है कि इसके बाद नित्या नंद ने अपने भाई पी. डब्ल्यू. 2 की मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया होगा, जिसमें मृतक को बाएं हाथ पर दो मामूली चोटें आई थीं, इससे पहले कि निप्पल से लगभग 2 "नीचे पांचवीं पसली के स्तर पर बाएं फ्लैंक पर घातक झटका दिया गया था। प्रसंगवश, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीडब्ल्यू 2 की गर्दन पर पाई गई चोट एक आत्म-प्रवृत्त घाव था और इसलिए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। हालांकि, हमने इस मामले की जांच इस आधार पर की है कि पीडब्ल्यू 2 को घटना के दौरान चोट लगी थी। उपरोक्त तथ्यों से,

यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि पी. डब्ल्यू. 2 और उसके मृत भाई ने अपीलकर्ता के कमरे में प्रवेश किया और बाद की बहन की उपस्थिति में गंदी गालियां दीं, गुस्सा बढ़ गया और पी. डब्ल्यू. 2 पर पेन चाकू निकालने पर अपीलकर्ता ने रसोई से चाकू उठाया, पीडब्ल्यू 2 की ओर दौड़ा और उसकी गर्दन पर एक साधारण चोट पहुंचाई। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि मृतक ने अपने भाई पीडब्ल्यू 2 की तरफ से हस्तक्षेप किया होगा और हाथापाई के दौरान उसे चोटें आईं, जिनमें से एक घातक साबित हुई। घटना के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता अपवाद के लाभ का हकदार था। उच्च न्यायालय ने उसे इस आधार पर वह लाभ देने से इनकार कर दिया कि उसने क्रूर तरीके से काम किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कि केवल इसलिए कि मृतक को तीन चोटें आई थीं, यह कहा जा सकता है कि उसने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया था। इन परिस्थितियों में, हम आरोपी को धारा 304, भाग 1 आईपीसी के तहत दोषी ठहराना उचित समझते हैं और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश देते हैं।"

[महत्त्व सन्निविष्ट]

51. **मुरलीधर शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में। **(2015) 1 एससीसी 694** में रिपोर्ट किया गया है कि यह पैराग्राफ 28 और 29 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में आयोजित किया गया है: -

*"**28.** हालांकि सवाल अभी भी अभियुक्त द्वारा किए गए **अपराध की प्रकृति के बारे में बना हुआ है और क्या यह धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 के तहत आता है।** सुरिंदर कुमार [सुरिंदर कुमार बनाम यूटी, चंडीगढ़, (1989) 2 एससीसी 217] में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: (एससीसी पी. 220, पैरा 7)*

*"**7.** इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) यह अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्व विचार नहीं था; (iii) अधिनियम जुनून की गर्मी में किया गया था; और*

(iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाने की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई रही होगी और अपराधी ने गुस्से में काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहां, अचानक झगड़े पर, पल की गर्मी में एक व्यक्ति एक हथियार उठाता है जो आसान है और चोटों का कारण बनता है, जिनमें से एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम नहीं किया हो।"

(महत्त्व सन्निविष्ट)

29. *इसके अलावा, अरुमुगम वी। राज्य [(2008) 15 एससीसी 590 पृष्ठ 595 पर: (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 1130], कानून के प्रस्ताव के समर्थन में कि किन परिस्थितियों में धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 को लागू किया जा सकता है यदि मृत्यु हो जाती है, तो इसे निम्नानुसार समझाया गया है: (एससीसी पृष्ठ 596, पैरा 9)*

"***9. ... "18. अपवाद 4 की सहायता का आह्वान किया जा सकता है यदि मृत्यु (ए) बिना किसी पूर्व विचार के होती है; (बी) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी के अनुचित लाभ लेने या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। अपवाद 4 के भीतर एक मामला लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को रोष में काम किया था।***

एक लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है चाहे हथियारों के साथ या बिना। किसी भी सामान्य नियम को प्रतिपादित *करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के आवेदन के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लिया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ है "अनुचित लाभ"।"*

[जोर दिया गया]

52. **सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2017) 5 एससीसी 796** के मामले में। में पैराग्राफ 13 में रिपोर्ट किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है जिसे इसके तहत संदर्भित किया जा रहा है: -

"***13.*** *आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 किसी भी पूर्व विचार के अभाव में लागू होता है। यह अपवाद के शब्दों से बहुत स्पष्ट है। अपवाद का मानना है कि अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी पर अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को कवर करता है। उक्त अपवाद पहले अपवाद द्वारा कवर नहीं किए गए उकसावे के मामले से संबंधित है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिंतन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत तर्क को बादल देती है और उन्हें उन कर्मों के लिए आग्रह करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में अपवाद 1 के रूप में उत्तेजना है, लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक झटका लग सकता है, या विवाद की उत्पत्ति में कुछ उकसावे दिए गए हैं या जिस तरह से झगड़ा उत्पन्न हो*

सकता है, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर अपराध के संबंध में रखता है। एक "अचानक लड़ाई" का अर्थ है आपसी उत्तेजना और प्रत्येक पक्ष पर मारपीट। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए नहीं है, और न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो अपवाद अधिक उपयुक्त रूप से लागू अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। एक लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक इसे शुरू करता है, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह गंभीर मोड़ नहीं लेता। फिर आपसी उत्तेजना और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक सेनानी को जो दोष देता है, उसे विभाजित करना मुश्किल होता है।

53. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या, (1976) 4 एससीसी 382** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 299 और 300 और उनके परिणामों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए, निम्नानुसार आयोजित किया: -

"*12. दंड संहिता की योजना में, "गैर इरादतन हत्या" जीनस है और "हत्या" प्रजाति है। सभी "हत्या" "गैर इरादतन हत्या" है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर बोलते हुए, "गैर इरादतन मानव वध हत्या की राशि नहीं है"।* ***इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से गैर इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देती है। पहला वह है जिसे 'पहली डिग्री की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है। यह गैर इरादतन मानव वध का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'दूसरी डिग्री की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, थर्ड डिग्री की सदोष मानव वध है। यह सबसे कम प्रकार का गैर इरादतन मानव वध है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। इस डिग्री की गैर इरादतन हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।"***

(जोर दिया गया)

54. **पुलिचेरला नागराजू बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य माननीय उच्चतम न्यायालय ने** (2006) 11 एससीसी 444 के मामले में दिनांक 10-11-2006 के अपने निर्णय में यह पता लगाने के लिए संगत कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया है कि क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यु कारित करने का कोई इरादा था। न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> *"29. इसलिए, अदालत को सावधानी और सावधानी के साथ इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न को तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 302 या 304 भाग I या 304 भाग II के अंतर्गत आता है या नहीं। कई छोटे-मोटे या महत्वहीन मामले, जैसे फल तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अशिष्ट शब्द का उच्चारण या यहां तक कि एक आपत्तिजनक नज़र डालना, झगड़े और सामूहिक संघर्ष का कारण बन सकते हैं, जिससे मौतें हो सकती हैं। ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। कोई इरादा नहीं हो सकता है। कोई पूर्वचिंतन नहीं हो सकता है। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां अभियुक्त एक मामला सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मृत्यु का कोई इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का काम है कि धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के अंतर्गत दंडनीय अपराधों में परिवतत न किया जाए अथवा गैर इरादतन मानव वध के मामलों को धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या न माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से इकट्ठा किया जा सकता है, अन्य परिस्थितियों के बीच: (i) इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या उसे मौके से उठाया गया था; (iii) क्या झटका शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लक्षित करता है; (iv) चोट पहुंचाने में नियोजित बल की मात्रा; (v) क्या यह कृत्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई है अथवा क्या कोई पूर्व नियोजित घटना थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी अथवा क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा दिया*

गया था और यदि हां, तो ऐसी उत्तेजना के क्या कारण थे; (ix) क्या यह जुनून की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया है; (xi) क्या अभियुक्त ने एक वार किया या कई वार किए। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं।"

(जोर दिया गया)

55. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 857 में रिपोर्ट किए गए **अनबझगन बनाम राज्य के पुलिस निरीक्षक** द्वारा प्रतिनिधित्व के मामले में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

"**66.** *पूर्वोक्त चर्चा से स्पष्ट कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है: -*

***(1)** जब अदालत को इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि अभियुक्त को क्या अपराध कहा जा सकता है, तो असली परीक्षा कार्य करने में अभियुक्त के इरादे या ज्ञान का पता लगाना है। यदि इरादा या ज्ञान ऐसा था जैसा कि आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक ही चोट लगी हो। ---*

(2) यहां तक कि जब अभियुक्त का इरादा या ज्ञान आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) के भीतर आ सकता है, तो अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगा, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है। यदि अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड (1) से (3) के अंतर्गत आता है तो अपराध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा और हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा यदि मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (4) के भीतर आता है। फिर, अभियुक्त का इरादा या

ज्ञान ऐसा हो सकता है कि आईपीसी की धारा 299 का केवल दूसरा या तीसरा भाग ही आकर्षित हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 300 के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, अपराध आईपीसी की धारा 304 के तहत हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के भीतर आता है तो यह उस धारा के भाग I के तहत अपराध होगा, जबकि यदि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है तो यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा।

(3) *इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में यथा वर्णित गैर इरादतन मानव वध के मामलों के पहले दो खंडों के अंतर्गत आता है तो यह धारा 304 के पहले भाग के अंतर्गत दंडनीय है। यदि, हालांकि, यह तीसरे खंड के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। वास्तव में, इसलिए, इस खंड का पहला भाग तब लागू होगा जब "दोषी इरादा" हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन "दोषी ज्ञान" है।*

(4) *यदि एकल संचोट दी जाती है, यदि उस विशेष क्षति का इरादा था, और निष्पक्ष रूप से वह चोट मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त थी, तो आईपीसी की धारा 300 के खंड 3 की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं और अपराध हत्या होगा।*

(5) *आईपीसी की धारा 304 निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगी: (i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, (ii) जब चोट की संभावना उच्च स्तर की नहीं है जो अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है "प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त" लेकिन संभावना की निम्न डिग्री जिसे आम तौर पर चोट के रूप में कहा जाता है "मृत्यु का कारण होने की संभावना" और मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (2) के तहत*

नहीं आता है, (iii) जब कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है लेकिन मृत्यु का कारण बनने के इरादे के बिना या मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।

इसे और अधिक संक्षेप में रखने के लिए, आईपीसी की धारा 304 के दो भागों के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर अभियुक्त को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए, आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।

(6) *शब्द "संभावना" का अर्थ शायद है और यह अधिक "संभवतः" से अलग है। जब होने की संभावना इसके न होने की तुलना में सम या अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि बात "शायद होगी"। निष्कर्ष पर पहुंचने में, अदालत को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होगा और फिर यह तय करना होगा कि क्या अभियुक्त को यह ज्ञान था कि कृत्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना है।*

(7) *आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से निपटने के दौरान गैर इरादतन मानव वध (आईपीसी की धारा 299) और हत्या (आईपीसी की धारा 300) के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। विधिविरुद्ध मानव वध की श्रेणी में दोनों प्रकार के गैर-इरादतन मानव वध के मामले और जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं, दोनों के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर मामला आने पर गैर इरादतन मानव वध हत्या नहीं है। लेकिन, भले ही उक्त पांच अपवादों में से कोई भी दलील नहीं दी गई है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी अभियोजन पक्ष को हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के*

चार खंडों में से किसी के तहत मामला लाने के लिए कानून के तहत आवश्यक होना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात् पहली से चौथी धारा तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला आईपीसी की धारा 299 के तहत वर्णित हत्या के रूप में गैर इरादतन हत्या का हो सकता है।

***(8)** न्यायालय को स्वयं मेन्स रिया के प्रश्न को संबोधित करना चाहिए। यदि धारा 300 के खंड तीसरे को लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक पर लगी विशेष चोट का इरादा होना चाहिए। यह घटक शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित हो सकता है। अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निकाला जाने वाला अनुमान का विषय है। अदालत को आवश्यक रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, घायल शरीर के हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुंचाने में इस्तेमाल किए गए बल की डिग्री, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचारक के संबंध में होना चाहिए।*

***(9)** हत्या का इरादा ही एकमात्र ऐसा इरादा नहीं है जो एक गैर इरादतन मानव वध को हत्या बनाता है। मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य कारण में पर्याप्त क्षति या चोट कारित करने का आशय भी एक आपराधिक मानव वध को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोट कारित करने का आशय उस कार्य या कृत्यों से अनुमान लगाया जाना है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोट लगी है।*

***(10)** जब अभियुक्त द्वारा दी गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो सामान्य सिद्धांत के रूप में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था या वह विशेष चोट जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई। किसी अभियुक्त का अपेक्षित दोषी इरादा था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।*

(11) जहां अभियोजन यह साबित कर देता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे शारीरिक क्षति कारित करने *का था और आशयित क्षति मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के साधारण क्रम में पर्याप्त है, तो यदि वह एक भी संक्षति करता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड तृतीय के अधीन तब तक आता है जब तक कि अपवादों में से कोई एक लागू न हो।*

(12) प्रश्न का निर्धारण करने में, क्या एक अभियुक्त के पास एक ऐसे मामले में दोषी इरादा या दोषी ज्ञान था जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट पहुंचाई जाती है और यह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तथ्य यह है कि अधिनियम अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व विचार के बिना किया जाता है, या परिस्थितियों को उचित ठहराता है कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि वह केवल एक साधारण चोट का इरादा रखता है, दोषी ज्ञान का निष्कर्ष निकालेगा, और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत एक होगा।

[जोर दिया गया]

56. कानून के प्रस्ताव की पूर्वोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है: -

(i) *क्या विचारण के दौरान जो सामग्री आई है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत किए गए अपराध के अवयवों को आकषत करने के लिए पर्याप्त है? नहीं तो*

(ii) *क्या यह कहा गया है कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है? नहीं तो*

(iii) *क्या तथ्यात्मक पहलू के आधार पर यह मामला धारा 304 के भाग-I के दायरे में आएगा या उसके भाग-II के दायरे में आएगा? नहीं तो*

(iv) *क्या घटना के एक ही लेन-देन में, क्या ट्रायल कोर्ट दोषसिद्धि के दो मापदंडों को अपना सकता है अर्थात् एक मामले में अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और दूसरे मामले में उसी घटना के लिए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है?*

(v) *क्या चार महिला सदस्यों, जिन पर भी इन दो अपीलकर्ताओं के समान अपराध करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्हें धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है, बल्कि उन्हें धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन धारा 149 आईपीसी की सहायता के बिना। इसलिए, इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दो मापदंडों को कैसे अपनाया जा सकता है यदि सभी अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप समान हैं।*

(vi) *क्या आईपीसी की धारा 149 की प्रयोज्यता, जो पांच सदस्यों वाली गैरकानूनी सभा को परिभाषित करती है, लेकिन जिस क्षण 7 आरोपियों में से चार महिलाओं को धारा 149 आईपीसी की सहायता के बिना धारा 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है, क्या धारा 149 आईपीसी की सहायता से सीआरपीसी अपील (डीबी) संख्या 163 ऑफ 2020 के अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है?*

57. चूँकि पूर्वोक्त सभी मुद्दे आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर एक साथ विचार करके नीचे निर्णय लिया जा रहा है। 58. कानून अच्छी तरह से तय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप साबित करने के लिए, यह न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत प्रदान किए गए गैर-इरादतन मानव वध के अवयवों पर विचार करे, जैसा कि धारा 300 आईपीसी के तहत प्रदान किया गया है और हत्या की राशि नहीं है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत प्रदान किया गया है।

58. आईपीसी की धारा 299 गैर इरादतन मानव वध के बारे में बताती है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करता है, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने की सम्भावना रखता है, गैर इरादतन मानव वध का अपराध करता है।

59. इस प्रकार, धारा 299 गैर इरादतन मानव वध के अपराध को परिभाषित करती है जिसमें एक कार्य करना शामिल है - (ए) मृत्यु कारित करने के इरादे से; (ख) ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होने की सम्भावना हो; (ग) इस ज्ञान के साथ कि इस कृत्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है। - इरादा॥ और ज्ञान॥ क्योंकि धारा 299 के तत्व सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को मानते हैं और यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष मासिक धर्म है। तीसरी स्थिति का ज्ञान ज्ञान या व्यक्ति की मृत्यु की संभावना पर विचार करता है।

60. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जयराज बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करते हुए। **एआईआर 1976 एससी 1519** में रिपोर्ट किए गए के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 32 और 33 में निर्णय दिया है जिसे यहां उद्धृत किया जा रहा है।

> "***32*** *इस प्रयोजनार्थ, हमें धारा 299 का सहारा लेना होगा जो सदोष मानव वध को परिभाषित करती है। इस अपराध में एक कार्य करना शामिल है (ए) मृत्यु कारित करने के इरादे से, या (बी) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या (सी) इस ज्ञान के साथ कि अधिनियम से मृत्यु होने की संभावना है।*
>
> ***33.*** *जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अंडा बनाम भारत संघ मामले में इंगित किया गया था। राजस्थान राज्य [एआईआर 1966 एससी 148: 1966 सीआरआई एलजे 171] धारा 299 की सामग्री में "इरादा" और "ज्ञान" सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को मानते हैं और यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष मासिक धर्म है। पहली दो स्थितियों*

में दोषी इरादा नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की इच्छित मृत्यु या जानबूझकर उसकी मृत्यु का कारण बनने की संभावना पर विचार करता है। तीसरी स्थिति में ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के ज्ञान पर विचार करता है।

61. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हमारी विधायिका ने दो अलग-अलग शब्दावली 'इरादा' और 'ज्ञान' का उपयोग किया है और शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य के लिए अलग-अलग दंड प्रदान किए गए हैं जो मृत्यु का कारण बनने की संभावना है और इस ज्ञान के साथ प्रतिबद्ध कार्य के लिए कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के इरादे के बिना मृत्यु होने की संभावना है, यह मानना उचित होगा कि 'इरादा' और 'ज्ञान' को एक दूसरे के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है। वे अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं। कभी-कभी, यदि परिणाम इतना स्पष्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान से, इरादा माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि 'इरादा' और 'ज्ञान' एक ही हैं। 'ज्ञान' केवल उन परिस्थितियों में से एक होगा जिन्हें अपेक्षित इरादे का निर्धारण या अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

62. इस प्रकार, गैर इरादतन मानव वध और हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए, आईपीसी के निर्माताओं ने निर्धारित किया कि अपेक्षित इरादा या ज्ञान अभियुक्त को आरोपित किया जाना चाहिए जब उसने वह कार्य किया जिससे उसे गैर इरादतन मानव वध या हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके।

63. भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने डिजाइन रूप से दो शब्दों **'इरादा'** और **'ज्ञान'** का इस्तेमाल किया, और यह माना जाना चाहिए कि निर्माताओं ने इन दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करने का इरादा किया था। परिणामों का ज्ञान जिसके परिणामस्वरूप कोई कार्य हो सकता है, वह इरादा नहीं है कि ऐसे परिणाम होने चाहिए। उन मामलों को छोड़कर जहां यह साबित करने के लिए मेन्स रिया की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान था, उसे पता होना चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं॥ (रसेल ऑन क्राइम, बारहवां संस्करण, खंड 1 पृष्ठ 40 पर)।

64. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के मद्देनजर, धारा 304 भाग- II के तहत आरोप तय करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री कम से कम प्रथम दृष्टया इंगित होनी चाहिए कि अभियुक्त ने एक ऐसा कार्य किया है जिससे कम से कम इस तरह के ज्ञान के साथ मृत्यु हुई है कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना थी।

65. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, **केशब महिंद्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1996) 6 एससीसी 129** में रिपोर्ट किए गए को पैराग्राफ 20 के तहत धारण करने की कृपा की गई है जो इसके तहत पढ़ता है: - पीठ ने कहा,

> *"**20**. --- हम पहले आईपीसी की धारा 304 भाग दो के मुख्य प्रावधानों के तहत संबंधित आरोपी के खिलाफ तय आरोपों पर चर्चा करेंगे। धारा 304 भाग II पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि संबंधित अभियुक्त पर उस प्रावधान के तहत गैर इरादतन मानव वध के अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है जो हत्या की राशि नहीं है और जब ऐसा आरोप लगाया जाता है यदि यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित अभियुक्त का कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है लेकिन मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के इरादे के बिना जो मृत्यु कारित करने की संभावना है आरोपित अपराध धारा 304 भाग II के तहत आएंगे। हालांकि, धारा 304 भाग II के तहत कोई आरोप तय किए जाने से पहले, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को कम से कम प्रथम दृष्टया यह दिखाना चाहिए कि अभियुक्त गैर इरादतन हत्या का दोषी है और उसके द्वारा कथित रूप से किया गया कार्य गैर-इरादतन हत्या माना जाना चाहिए। हालांकि, अगर संबंधित आरोपी के खिलाफ इस तरह के आरोप तय करने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह प्रथम दृष्टया भी कम हो जाती है, तो यह संकेत मिलता है कि आरोपी गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी प्रतीत होता है, धारा 304, भाग I या भाग II तस्वीर से बाहर हो जाएगा। इस संबंध में हमें दंड संहिता, 1860 की धारा 299 को ध्यान में रखना होगा जो गैर इरादतन मानव वध को परिभाषित करती है। यह निर्धारित करता है कि:*

"जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो मृत्यु कारित करने की सम्भावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने की संभाव्य है, मृत्यु कारित करता है, वह सदोष मानव वध का अपराध करता है। नतीजतन, धारा 304 भाग II के तहत आरोप तय करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री को कम से कम प्रथम दृष्टया इंगित करना चाहिए कि अभियुक्त ने कम से कम इस तरह के ज्ञान के साथ एक ऐसा कार्य किया था जिससे मृत्यु हुई थी। ---"

66. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के बारे में बताती है जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर इरादतन मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, या, दूसरी बात, यदि यह ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से की जाती है जैसा कि अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना है जिसे नुकसान का कारण बनता है, या तीसरा, अगर यह किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है और शारीरिक चोट देने का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या चौथा, अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न खतरनाक है कि यह होना चाहिए, सभी संभावना में, मृत्यु का कारण बनता है, या ऐसी शारीरिक चोट जो मृत्यु का कारण होने की संभावना है, और मृत्यु या पूर्वोक्त चोट के जोखिम को वहन करने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है।

67. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा लागू नहीं होगी यदि ऊपर वर्णित शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आरोपी ने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है तो हत्या साबित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या के अपराध के लिए कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं:-

(a) यदि किसी व्यक्ति को अचानक किसी तीसरे पक्ष द्वारा उकसाया जाता है और अपना आत्म-नियंत्रण खो देता है, और जिसके परिणामस्वरूप किसी

अन्य व्यक्ति या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने उसे उकसाया था, तो यह प्रावधान के अधीन प्रावधान के अधीन हत्या नहीं होगी।

(b) जब निजी रक्षा के अधिकार के अधीन कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसके विरुद्ध उसने बिना किसी पूर्व विचार और आशय के इस अधिकार का प्रयोग किया है।

(c) यदि कोई लोक सेवक, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और विधिपूर्ण आशय रखते हुए, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है।

(d) यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व विचार के बिना प्रतिबद्ध है और अपराधी के बिना अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है।

(e) जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है, वह अठारह वर्ष से अधिक आयु का होने के कारण जब मृत्यु से पीड़ित हो जाता है या अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है तो वह हत्या नहीं है।

68. उपर्युक्त ये सभी अपवाद धारा 304 के दायरे में आएंगे और इन्हें गैर इरादतन मानव वध कहा जाएगा जो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा।

69. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध के कमीशन के लिए दोषी ठहराते समय जिन मापदंडों का पालन किया जाना है, वे अलग-अलग होंगे यदि हत्या हत्या के बराबर गैर इरादतन मानव वध के दायरे में आती है और यह अलग होगा यदि हत्या करने के इरादे से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत बनाए गए अपवाद के दायरे से बाहर है।

70. वर्तमान मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें ली गई हैं कि खाट की पिटाई के दौरान पार्टियों के बीच हाथापाई हुई, जिससे मृतक को चोटें आईं, जिन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से दी गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि यह मामला नहीं है या हत्या है बल्कि यह धारा 300 (हत्या) के अपवाद 4 के दायरे में आता है आईपीसी का।

71. मामले का न्याय करने के मापदंडों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सयाजी हनमत बाउकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2011 एससी 3172** के मामले में निपटाया गया है। जिसमें मामले की परिस्थितियों के तहत यह माना गया है कि यदि कार्य अचानक झगड़े में पूर्व विचार के बिना किया जाता है और यदि अपराधी कोई अनुचित लाभ नहीं लेता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करता है, तो अपवाद 4 को आकर्षित किया जाएगा।

72. कानून अच्छी तरह से तय है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को आकर्षित करने के लिए, चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए: -

(a) यह अचानक लड़ाई होनी चाहिए।

(b) कोई पूर्व विचार नहीं था।

(c) यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था

(d) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।

73. घटना के दौरान होने वाले घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई होनी चाहिए और अपराध गुस्से में हुआ होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं लिया होगा या असामान्य या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। यदि कोई व्यक्ति अचानक झगड़े पर एक पल की गर्मी में एक हथियार उठाता है जो आसान है और जिससे चोटें आती हैं, जिनमें से एक घातक साबित होता है, तो वह आईपीसी की धारा 300 के इस अपवाद 4 के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम नहीं किया हो। इस प्रकार जब भी अचानक लड़ाई और संघर्ष का मामला होता है, तो इसे आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत निपटाया जाना चाहिए।

74. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अब इस मुद्दे का जवाब देने के लिए मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या यह धारा 302 या धारा 304 भाग- I या II के तहत मामला है, साक्ष्य की तुलना में हत्या या अपवाद 4 के प्रावधानों की सराहना करके।

आपराधिक अपील संख्या संख्या 141 / 1996

75. पी.डब्लू-2 बिहारी साव ने गवाही दी है कि हल्ला सुनकर वह लिलो साव के घर की ओर गया और देखा कि ईश्वर गोप और जागेश्वर गोप डोमर गोप पर लाठी से हमला कर रहे थे। डामर गोप की पत्नी ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया और झंवा, मैनवा, फुचनी और छतुस देवी ने उसके साथ मारपीट की। डामर गोप के सिर पर चोट लगी और वह नीचे गिर गया। उन्होंने आगे गवाही दी है कि उन्होंने अपनी गमछी [तौलिया] के साथ डामर गोप के सिर पर पट्टी बांधी। इसके बाद, वह और अन्य लोग डामर गोप को खाट पर थाना [पुलिस स्टेशन] ले गए। वहां से प्रभारी अधिकारी ने उन्हें डुमरी अस्पताल भेज दिया।

76. पी. डब्ल्यू.3, भीखिनी देवी ने कहा है कि जब वह बिस्तर पर जाने वाली थी, तो उसने हल्ला को लिलो साव के घर की ओर सुना और देखा कि ईश्वर गोप, जागेश्वर गोप, दालो गोप डामर गोप पर हमला कर रहे थे। डामर गोप की पत्नी उसे बचाने के लिए गई लेकिन केनवे, झांवा, छथू और फुचनी देवी ने उसके साथ मारपीट की। उसने जिरह में यह भी कहा है कि डामर छत पर अपनी चारपाई पीट रहा था।

77. पी. डब्ल्यू.4, गोपाल साव ने गवाही दी है कि जब वह भोजन करने के बाद लिलो साव के दरवाजे पर बैठा था, तो डामर गोप उसके दरवाजे पर अपनी चारपाई पीट रहा था और जब ईश्वर गोप ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तब ईश्वर गोप अपने घर गया और लाठियों से लैस अपने दो पुत्रों, अर्थात् डालो और जागेश्वर के साथ वापस आया। तीनों ने डामर गोप को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए लिलो साव के दरवाजे तक ले गए और तीनों आरोपियों ने उस पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। डामर गोप की पत्नी अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी लेकिन चार महिला आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे गवाही दी है कि आरोपी व्यक्तियों ने डामर गोप के गिरने के बाद भी उसके साथ मारपीट जारी रखी। जिरह में इस गवाह ने गवाही दी है कि डोमर गोप पर चार या पांच मिनट तक हमला किया गया था और हो सकता है कि उस पर 15-20 लाठी वार किए गए हों। उसके सिर सहित पूरे शरीर पर हमला किया गया था।

78. पी. डब्ल्यू.5, किशुन गोप भी डामर कोप द्वारा उठाए जा रहे हल्ला पर गली [गली] में गए। उन्होंने भी इस घटना का समर्थन किया है।

79. पी. डब्ल्यू.6, अंबिया देवी, मृतक डामर गोप की पत्नी है। उसने अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में कहा है कि उसका पति डामर गोप उसके दरवाजे पर चारपाई पीट रहा था, जिस पर ईश्वर गोप ने गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद वह अपने घर गया और अपने दो बेटों डालो गोप और जागेश्वर गोप के साथ वापस आया, सभी लाठियों से लैस थे। वे उसे लिलो साव के दरवाजे तक खींच कर लाठी से पीटने लगे और जब वह अपने पति को बचाने गई तो फुचनी, मैनवा, थुनवा और छठू देवी ने भी उसके साथ मारपीट की। वह और अन्य लोग अपने पति को निमियाघाट पीएस ले गए, जहां से उन्हें डुमरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें धनबाद अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उसने जिरह में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों के साथ एक घरबानी को लेकर भूमि विवाद था, लेकिन पहले पक्षों के बीच कोई झगड़ा या कोई मामला नहीं था। पैराग्राफ 4 में इस गवाह ने कहा है कि जब आरोपी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आए तो महिला आरोपी ने लिलो साव के दरवाजे पर उसे पकड़ लिया।

80. पी. डब्ल्यू.7, दुखी गोप मुखबिर है। उन्होंने गवाही दी है कि घटना की कथित तारीख पर वह अपने घर में मौजूद थे। डामर गोप अपने दरवाजे पर अपनी खाट पीट रहा था जब ईश्वर गोप आया और उसे गाली दी। दोनों तरफ से गर्मागर्म बातें हुईं। इसके बाद ईश्वर गोप अपने घर गया और वह अपने दो बेटों के साथ वापस आया। तीनों ने लाठी मारकर डामर गोप को लिलो साव के दरवाजे तक खींच लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जब डामर गोप की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए आई तो चार महिला आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। जिरह में उसने कहा है कि जब डामर गोप खाट पीट रहा था तब वह खाना खा रहा था। वह हल्ला मारकर अपने घर से निकला। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि ईश्वर, दालो और जागेश्वर गोप ने लिलो साव के दरवाजे के पास डामर गोप पर हमला किया। उन्होंने एफआईआर में यह भी कहा है कि वह यह नहीं देख सके कि किस आरोपी ने डामर गोप पर किन हथियारों से हमला किया। लेकिन उसने ईश्वर गोप को अपने बेटों को उसे खत्म करने के लिए उकसाते हुए सुना। सीआर ए (डी.बी.) में गवाहों की गवाही 2020 की संख्या 163

81. मुखबिर पी. डब्ल्यू. -8, दुखी गोप, जो मृतक के पिता हैं, ने परीक्षा-इन-चीफ में कहा है कि जब घटना हुई तो वह अपने घर में मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा है कि जब डोमर गोप अपने बरामदे में अपनी खाट पीट रहा था तो आरोपी ईश्वर गोप ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा है कि डोमर गोप और ईश्वर गोप के बीच गर्म बातचीत का आदान-प्रदान हुआ है। इसके बाद, ईश्वर गोप अपने घर गया और अपने दोनों बेटों के साथ लाठी और तलवार से लथपथ होकर वापस आया। आरोपी ईश्वर गोप और उसके बेटे लिलो साव ने डोमर गोप को पकड़ लिया और खुले आंगन में घसीटते हुए लाठी से मारपीट शुरू कर दी। उसकी पत्नी अंबिया देवी अपने पति को बचाने के लिए गई लेकिन महिला आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की। डोमर गोप को गंभीर चोटें आईं और वह जमीन पर गिर गया और उसे डुमरी अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टर ने घायल धनबाद को रेफर कर दिया जहां डोमर गोप की मौत हो गई।

82. पी. डब्ल्यू.7 अंबिया देवी घटना के चश्मदीद गवाह मृतक डोमर गोप की पत्नी हैं। उसने कहा है कि घटना के समय जब उसका पति अपने दरवाजे पर चारपाई की सफाई कर रहा था, वह मौजूद थी और उस समय ईश्वर गोप ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा है कि लालो गोप, जागेश्वर गोप लाठी से मारा गया और उसके पति को लिलो साव के दरवाजे तक खींच लिया और लाठी से हमला करना शुरू कर दिया फिर वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी लेकिन आरोपी व्यक्तियों फुचनी देवी, मनवा, झुनवा और छोटू देवी ने उसके साथ मारपीट की। उसके शरीर पर पति के गंभीर जख्म आ गए। आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसे व्यक्ति पर चोटें भी आई हैं। वह और अन्य अपने पति को निमियाघाट पीएस ले गए जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया जहां उनके पति की मृत्यु हो गई।

83. पी. डब्ल्यू.3-गोपल साव, पी. डब्ल्यू..5-किशुन गोप और पी. डब्ल्यू..6- भीखनी देवे इस मामले के स्वतंत्र चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले और घटना में आरोपी याचिकाकर्ता की भागीदारी का भी समर्थन किया।

84. पी. डब्ल्यू. -2 डॉ विनोद कुमार ने कहा है कि मृत्यु का कारण कठोर और कुंद वस्तु के कारण उपरोक्त इंट्रा क्रैनियल हैमरेज के परिणामस्वरूप कोमा में था।

85. पी. डब्ल्यू.10 डॉ. देवेंद्र प्रसाद ने गवाही दी है कि 03.10.1993 को वह चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी, डुमरी, गिरिडीह में तैनात थे, जिन्होंने घायल अंबिया देवी, पत्नी डोमर यादव,

86. पी. डब्ल्यू. -4 राम लाल राम इस मामले के जांच अधिकारी हैं जिन्होंने पूरी जांच की और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

87. इस न्यायालय ने, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, पाया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से गवाहों की गवाही पर विचार किया है, पीडब्ल्यू 3, PW5.PW 6, पीडब्ल्यू 7 की गवाही। मामले के पी. डब्ल्यू. 8 (मुखबिर) जिसमें उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से गवाही दी कि घटना रात 10:00 बजे हुई जब मृतक अपनी खाट की सफाई कर रहा था और आरोपी इसव्हर गोप ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। उपरोक्त साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ईश्वर गोप जागेश्वर गोप, डालो गोप महिला आरोपी मैनवा देवी, छोटी देवी, फुचिनी देवी, झांवा देवी के साथ मौके पर पहुंचे, मृतक डोमर गोप पर लाठी-डंडे से हमला किया। यह भी स्पष्ट है कि डोमर गोप को ईश्वर गोप, दलेहेश्वर गोप ने पकड़ लिया और जागेश्वर गोप ने लिलो साव के दरवाजे पर घसीटा और उसके शरीर और माथे पर लाठी से वार किया जिससे माथे के साथ-साथ शरीर पर भी चोट लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया जहां डोमर गोप की मौत हो गई। इसलिए, मैंने पाया कि स्वतंत्र गवाहों पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6 ने पूरी तरह से मुखबिर पीडब्ल्यू -8 के साक्ष्य के साथ-साथ घायल पीडब्ल्यू -7 का समर्थन और पुष्टि की और अभियोजन पक्ष के पक्ष में एफआईआर की पुष्टि भी की। इन गवाहों, पीडब्ल्यू 8 मुखबिर और पीडब्ल्यू 7 (मृतक डोमर गोप की पत्नी), जो एक घायल भी हैं, ने जागेश्वर गोप सहित आरोपी व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया, जो इस पूरक मामले के रिकॉर्ड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्र गवाह ने ईश्वर गोप, दलेश्वर गोप के साथ आरोपी जागेश्वर गोप की संलिप्तता के बारे में सबूतों का भी खुलासा किया और नेतृत्व किया।

88. जबकि दूसरी ओर, वैकल्पिक रूप से अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह आधार लिया है कि हत्या करने के लिए मन का कोई पूर्वविचार नहीं था, बल्कि यह अचानक लड़ाई थी और यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था।

89. पूर्वोक्त तथ्य के आलोक में, अब यह सराहना की जानी चाहिए कि क्या मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आ रहा है।

90. बेशक, इस अपवाद को लागू करने के लिए, चार अवयवों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात, - (i) यह अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्व विचार नहीं था; (iii) अधिनियम जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।

91. **धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य [(2003) 9 एससीसी 322** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार देखा गया है: -

> *"आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को कवर करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद द्वारा कवर नहीं किया गया है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिंतन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत तर्क को बादल देती है और उन्हें उन कार्यों के लिए आग्रह करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में अपवाद 1 के रूप में उत्तेजना है; लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक झटका लग सकता है, या विवाद की उत्पत्ति में कुछ उत्तेजना दी गई हो सकती है या जिस तरह से झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर अपराध के संबंध में रखता है। 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मारपीट। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए नहीं है, और न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो अपवाद अधिक उपयुक्त रूप से लागू अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। एक लड़ाई अचानक होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक इसे शुरू करता है, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं*

बढ़ाया होता तो यह गंभीर मोड़ नहीं लेता। फिर आपसी उत्तेजना और उत्तेजना होती है, और दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है जो प्रत्येक सेनानी को जोड़ता है। अपवाद 4 की सहायता का आह्वान किया जा सकता है यदि मृत्यु (ए) बिना किसी पूर्व विचार के, (बी) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी के अनुचित लाभ लेने या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। अपवाद 4 के भीतर एक मामला लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को रोष में काम किया है। एक लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है चाहे हथियारों के साथ या बिना। किसी भी सामान्य नियम को प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के आवेदन के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं लिया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ है 'अनुचित लाभ'।

92. यह न्यायालय, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यात्मक पहलू के आधार पर और **सुरिंदर कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़** (सुप्रा), **नानकौनू बनाम भारत संघ राज्य** क्षेत्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए। (v) उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा), **मुरलीधर शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश** राज्य (सुप्रा), **मुरलीधर शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश** राज्य (सुप्रा), मुरलीधर **शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (सु महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) और सुरैन सिंह वी। पंजाब राज्य (सुप्रा) और अन्य पूर्वोक्त न्यायिक घोषणाएं,

जिनमें हत्या की राशि के लिए गैर इरादतन मानव वध और हत्या की राशि नहीं के तहत गैर इरादतन मानव वध के बीच अंतर किया गया है, दिए गए मामले के तथ्यों का खंडन करते हुए, दिए गए मामले के तथ्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

93. वर्तमान मामले में, सभी गवाहों ने गवाही दी है कि डोमर गोप [मृतक] ईश्वर गोप के बीच गर्म बातचीत का आदान-प्रदान हुआ था। इसके अलावा, पक्षों के बीच झगड़े में दोनों परिवार की सभी महिलाओं की भागीदारी के संबंध में उनके बयान में सर्वसम्मति है। मुखबिर पक्ष को भी चोट आई है।

94. मुखबिर [दुखी गोप] ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि पक्षों के बीच गर्म बातचीत का आदान-प्रदान हुआ था और उसके बाद अभियुक्त-ईश्वर गोप उसके घर गया और अपने दो बेटों को बुलाया जो लाठी और तलवार के साथ आए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार किसी भी गवाह ने गवाही नहीं दी है कि अपराध करने में तलवार का इस्तेमाल किया गया था और न ही चोट की रिपोर्ट से पता चलता है।

95. गवाहों की गवाही के अवलोकन से यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए गवाहों ने स्वीकार किया है कि लिलो साव के दरवाजे पर खाट की पिटाई के संबंध में पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट है कि यह घटना खाट की पिटाई के तुच्छ मामले पर हुई थी। ऐसे परिदृश्य में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टियों के बीच स्वतंत्र लड़ाई थी।

96. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा लगी चोटें अधिक थीं और मुखबिर की ओर से मृतक की जान चली गई थी। इस संदर्भ में, **2011 (1) पूर्व सी.आर.सी 86 (एससी) में रिपोर्ट किए गए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुन्नी राम** और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित है, जिसमें पैरा -17 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बचाव पक्ष को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उन्हें कम चोटों का सामना करना पड़ा है।

97. साक्ष्य प्राप्त करने में, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं हो सकता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता पक्ष हमलावर थे। यह स्पष्ट है कि घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति दोनों पक्षों द्वारा रोक दी गई प्रतीत होती है।

98. इस स्तर पर, यह अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि आरोपी के अपराध विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्याय किया जा रहा है दोहराने के लिए आवश्यक है. अभियुक्त के व्यक्ति पर पाई गई चोटें उत्पत्ति और घटना के तरीके के संबंध में महत्व रखती हैं।

99. इस प्रकार, मामले के पूरे सरगम पर विचार करते हुए, और रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि खाट की पिटाई के मामले में दोनों पक्षों के बीच स्वतंत्र लड़ाई हुई थी और उक्त लड़ाई में मृतक की मृत्यु हो गई और अन्य गवाहों को चोटें आईं।

100. ऊपर की गई चर्चा से, यह स्पष्ट है कि एक स्वतंत्र लड़ाई के मामले में एक अपराधी को अपने स्वयं के कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है और दूसरों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले में यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने मृतक की मृत्यु करने का सामान्य इरादा साझा किया था।

101. सामान्य इरादे के बिंदु पर रिकॉर्ड पर साक्ष्य में तल्लीन करने और पार्टियों द्वारा किए गए इस संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों को संबोधित करने से पहले, हम धारा 34 भारतीय दंड संहिता की सटीक प्रकृति, उद्देश्य और दायरे को दोहराना चाहते हैं।

102. आईपीसी की धारा 34 को इस तथ्य के अलावा लागू करने के लिए कि दो या अधिक अभियुक्त होने चाहिए, दो कारक स्थापित किए जाने चाहिए: (i) सामान्य इरादा और (ii) अपराध करने में अभियुक्त की भागीदारी। यदि एक सामान्य इरादा साबित हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अभियुक्त के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया जाता है, तो धारा 34 को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से प्रत्यारोध दायित्व शामिल है, लेकिन यदि अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित हो जाती है और एक सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 को लागू नहीं किया जा सकता है।

103. हर मामले में, एक सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है। एक सामान्य इरादे के अस्तित्व का अनुमान मामले की उपस्थित परिस्थितियों और पार्टियों के आचरण से लगाया जा सकता है। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा **बेंगई मंडल बनाम बिहार राज्य (2010) 2 एससीसी 91** के मामले में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट में किए गए मामले में अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि पैरा 13 में यह निम्नानुसार है -

> "*13 बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य, (2010) 2 एससीसी 91 में रिपोर्ट किया गया है जिसमें पैरा 13 में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 34 के संबंध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्य इरादे का अस्तित्व तथ्य का सवाल है। चूंकि इरादा मन की एक अवस्था है, इसलिए सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना या प्राप्त करना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में अदालतों को अभियुक्त के कार्य या आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगाना पड़ता है। हालांकि, सामान्य इरादे के रूप में एक निष्कर्ष आसानी से नहीं निकाला जाएगा; आपराधिक दायित्व तभी उत्पन्न हो सकता है जब इस तरह के निष्कर्ष को कुछ हद तक आश्वासन के साथ तैयार किया जा सकता है।*

104. इसके अलावा **गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 3 एससीसी 793** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय।] के पैरा 9 में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के उद्देश्य और प्रकृति को उजागर करते हुए निम्नानुसार है-

> "**9.** *धारा 34 को आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई वास्तविक अपराध नहीं बनाती है। अनुभाग की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कार्य उन व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं। सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, इस तरह के इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों से लगाया*

जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन की योजना या बैठक थी, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व व्यवस्थित हो या पल की प्रेरणा पर; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के आयोग से पहले होना चाहिए। धारा की सही अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। जैसा कि अशोक कुमार बनाम में देखा गया है। पंजाब राज्य [(1977) 1 एससीसी 746] अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य इरादे का अस्तित्व इस धारा के आवेदन के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोप में कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान होने चाहिए। अधिनियम चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए एक और एक ही सामान्य इरादे से सक्रिय होना चाहिए।

105. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 34 की प्रयोज्यता के बारे में निष्कर्ष घटना की उत्पत्ति के तरीके से लिया जाना है, जिस तरीके से अभियुक्त घटनास्थल पर पहुंचा और संगीत कार्यक्रम जिसके साथ हमला किया गया था और उनमें से एक या कुछ के कारण चोटों से। वास्तव में किया गया आपराधिक कृत्य निश्चित रूप से ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा, लेकिन इसे एकमात्र कारक नहीं माना जाना चाहिए।

106. धारा 34 आईपीसी के तहत दायित्व का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक साथ सचेत मन है। सामान्य इरादे को साझा करने के बारे में मन संतुष्ट हो जाता है जब प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ एक प्रकट कार्य स्थापित किया जाता है। सामान्य इरादे का अर्थ है पूर्व-व्यवस्थित योजना और पूर्व-व्यवस्थित योजना के अनुसार संगीत कार्यक्रम में अभिनय। सामान्य इरादा वास्तव में किए गए अपराध को करने का इरादा है और प्रत्येक आरोपी

व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, केवल अगर उसने उस सामान्य इरादे में भाग लिया हो।

107. **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य में; एआईआर 1982 एससी 70** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि अपराध होने से पहले अभियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई पूर्व-सहमति नहीं थी और न ही उनके बीच मन की बैठक हुई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि खराब थी और चूंकि अभियुक्त ने केवल कान पर एक सांकेतिक झटका दिया और मामूली चोटें पहुंचाईं, सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत बदल दिया गया था।

108. इसके अलावा, प्रस्तुत किया गया है, एक मामले में घटनाओं के एक ही सेट में धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय धारा 149 आईपीसी की सहायता से पारित किया गया है, जिसमें एक अन्य मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय धारा 34 आईपीसी की सहायता से पारित किया गया है, जिसे उचित कारण नहीं कहा जा सकता है कि धारा 149 आईपीसी का दायरा धारा 34 से काफी अलग है। आईपीसी।

109. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि धारा 149 आईपीसी सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करती है जबकि धारा 34 आईपीसी सामान्य इरादे के बारे में बोलती है।

110. इस मामले में सात अभियुक्तों में से, चार सह-अभियुक्तों, अर्थात् झांको देवी, मैनवा देवी, चूटो देवी और फुचनी देवी को परिवार की महिला सदस्यों को बरी कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि धारा 149 के दंड प्रावधान को आकर्षित करने के लिए सामान्य उद्देश्य का आरोप भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित गैरकानूनी सभा के अर्थ के कारण लागू नहीं होगा गैरकानूनी सभा, विधानसभा के कम से कम 5 सदस्यों को गैरकानूनी विधानसभा में होना कहा जाता है।

111. एक गैरकानूनी सभा के महत्वपूर्ण तत्व इसे बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या हैं अर्थात पांच; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2019) 8 एससीसी 529**। और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है।

112. यह आगे कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी भी सामान्य उद्देश्य के साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध सभा का सदस्य नहीं बनाती है जब तक कि वह दंगों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है अथवा आवश्यक आपराधिक आशय से कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं करता है अथवा विधिविरुद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं करता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय पांडुरंग ठाकरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2017) 4 एससीसी 377**और अन्य के मामले में निर्णय दिया गया है।.

113. उपरोक्त चर्चा और न्यायिक घोषणाओं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था और न ही कोई पूर्व संगीत कार्यक्रम था, बल्कि यह खटमल से छुटकारा पाने के लिए खाट की पिटाई के मामले पर अचानक झगड़े के कारण हुआ था।

114. परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि एक सच्चे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपीलकर्ताओं का अपराध करने का एक सामान्य इरादा था जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता फायर आर्म्स जैसे किसी घातक हथियार से लैस नहीं थे। वर्तमान मामले में, जिस तरह से घटना हुई, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शाया गया है, आरोपी/अपीलकर्ताओं के बीच सामान्य इरादा नहीं हो सकता था।

115. इस प्रकार, इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या 149 के तहत भी रचनात्मक दायित्व को आकर्षित करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाया है।

116. इसके अलावा यह कानून का स्थापित अर्थ है कि किसी व्यक्ति को धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराए जाने से पहले सामान्य उद्देश्य स्थापित करना आवश्यक है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दाऊवालाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2019) 4 एससीसी 538।**

117. के मामले में आयोजित किया गया है। तथ्य और परिस्थितियां, हमारे विचार में, पूर्व-अनुमान के अनुमान को जन्म नहीं देती हैं। हमें अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं का मृतक को खत्म करने का कोई सामान्य इरादा था।

118. सामान्य इरादे के अभाव में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता है।

119. यह भी कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि धारा 34 आईपीसी के साथ पठित अपराध की सजा के लिए, यह आवश्यक है कि प्रतिभागियों के सामान्य इरादे के रूप में एक निष्कर्ष होना चाहिए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस बात का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि अपीलकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत सजा को बनाए रखने के लिए अपनी रचनात्मक देयता स्थापित करने के सामान्य इरादे को कैसे साझा किया।

120. इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 1996 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 141 के अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और अन्य चार महिला आरोपियों को आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था, इसलिए, ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 163 ऑफ 2020 के तहत धारा 302 की सहायता से दोषी ठहराया गया धारा 149 बहुत ही संदेहास्पद है और जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है कि धारा 149 के अवयवों को आकर्षित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता 05 (पांच) व्यक्तियों की है और यह घटक 149 आईपीसी की सहायता से दोषसिद्धि का आदेश देते समय ट्रायल कोर्ट को उपलब्ध नहीं था। पूर्वोक्त तथ्य ही दोषसिद्धि का निर्णय देते समय विसंगति को इंगित करते हैं।

121. इस अदालत का विचार है कि तत्काल मामले में मन की बैठक के बिना यादृच्छिक व्यक्तिगत कार्य किए गए थे और ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल मामला स्वतंत्र लड़ाई का मामला है और अपीलकर्ताओं को केवल उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए

उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसी कोई पूर्व-नियोजित योजना साबित नहीं हुई है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि पूर्व-व्यवस्थित योजना के अनुसार कोई आपराधिक कृत्य किया गया है।

122. कई व्यक्तियों को एक साथ एक आदमी पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक एक ही इरादा, अर्थात्, हत्या करने का इरादा हो सकता है और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक झटका देना कर सकते हैं और अभी तक कोई भी आम इरादा दंड संहिता, 1860 की धारा 34 द्वारा आवश्यक है क्योंकि वहाँ था एक पूर्व की योजना बनाने के लिए मन की कोई पूर्व बैठक नहीं थी. हालांकि, ऐसे मामले में मन की पूर्व बैठक एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है और मन की बैठक पल की प्रेरणा पर बनाई जा सकती है, लेकिन तत्काल मामले के तथ्य में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मृतक को मारने का कोई इरादा था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्र लड़ाई थी। इस तरह के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी चोट लगी है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन किसी को भी किसी अन्य के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

123. विद्वान ट्रायल कोर्ट हालांकि, मामले को हत्या के कमीशन का मामला मानते हुए निष्कर्ष पर आया है और इसलिए अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है, लेकिन ऐसा करते समय, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत अपवाद की प्रयोज्यता के बारे में तथ्य की सराहना नहीं की है।

124. इस न्यायालय का विचार है, जैसा कि ऊपर संदर्भित न्यायिक निर्णयों के आधार पर है, कि ऊपर की गई चर्चा के आधार पर यह बिना किसी पूर्व विचार के अचानक मुक्त लड़ाई प्रतीत होती है और यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था और यह भी नहीं आया है कि हमलावर ने क्रूर तरीके से काम किया है। यह आगे प्रतीत होता है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने की आवश्यकता को आकर्षित करने के उद्देश्य से, घटना के दौरान हुए घावों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है,

लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई होनी चाहिए और अपराधी ने जुनून की गर्मी में काम किया होगा।

125. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दर्ज इन सभी तथ्यों की अनदेखी करके गंभीर अनियमितताएं की हैं।

126. तदनुसार, हमारा विचार है कि दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के निर्णय को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग- II और अन्य धाराओं के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि में संशोधित करके हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

127. इस प्रकार, गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन पर, हम अपीलकर्ता- दलेश्वर गोप (1996 की आपराधिक अपील (डीबी) 141 में अपीलकर्ता) को केवल आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं।

128. जहां तक अपीलकर्ता-जागेश्वर गोप (2020 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 163 में अपीलकर्ता) का संबंध है, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, हमने उसे 302/149 आईपीसी के बजाय आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए दोषी पाया।

129. हालांकि, अपीलकर्ता-जागेश्वर गोप को भी धारा 148, 341, 323, 452 और 504 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है और दोषी ठहराया गया है, लेकिन रिकॉर्ड के अवलोकन और ऊपर की गई चर्चाओं से, इस न्यायालय को धारा 452 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए कोई घटक नहीं मिलता है। हालांकि, बाकी वाक्यों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

130. नतीजतन, **विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाता है और अपीलकर्ता- दलेश्वर गोप (1996 की आपराधिक अपील (डीबी) 141 में अपीलकर्ता) के साथ-साथ अपीलकर्ता-जागेश्वर गोप (2020 की सीआर अपील (डीबी) संख्या 163 में अपीलकर्ता) को धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया**

जाता है और उन्हें पहले से ही गुजारी गई अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है और निर्देश दिया जाता है कि यदि वह नहीं चाहता है तो जेल हिरासत से तुरंत रिहा किया जाए। कोई अन्य मामला।

131. चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

132. **आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 141/1996 और आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 163/2020 को दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश में संशोधन के साथ खारिज किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।**

133. दोनों आपराधिक अपीलों को एतद्द्वारा उपरोक्त के रूप में निपटाया जाता है।

134. निचली अदालत के अभिलेखों को इसकी एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को तुरंत वापस भेज दिया जाए

135. लंबित वादकालीन आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाएगा।

मैं सहमत हूं

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.)

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे)

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 05.03.2024।
अलंकार/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।